सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2021-22
वित्त एवं विनियोग विधेयक
चर्चा पर

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
की घोषणाऐं

18 मार्च, 2021

घोषणाएं :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

1. मेरे द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में Universal Health Scheme लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसका प्रदेशभर में स्वागत हो रहा है। इसका नामकरण **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना'** करते हुए मजदूर दिवस 1 मई, 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक Cashless चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रेल, 2021 से वर्तमान में पात्र (NFSA/SECC) लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जायेगा।

2. प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु local entrepreneurs को जोड़ते हुए, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर tele-consultation OPD सेवायें प्रदान की जायेंगी।

3. प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां व भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खण्डों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **100 ममता एक्सप्रेस** वाहनों का संचालन किया जायेगा।

4. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि–

– एका (सांकड़ा)–जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।

– पावटा (आहोर)–जालोर, समरा–हम्मीरपुरा (थानागाजी)–अलवर, गोहड़ का तला, बाछड़ाऊ (चौहटन)–बाड़मेर, गढ़मोरा (नादौती), निसूरा (टोडाभीम)– करौली, वाना (भीण्डर)–उदयपुर, खेरली (राजाखेड़ा)–धौलपुर, कीतासर (श्रीडूंगरगढ़)–बीकानेर, पाटन (कुशलगढ़)–बांसवाड़ा, जाटौली रथवान (सेवर)–भरतपुर व आसलपुर एवं बिलोंची–जयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

– बलाऊ जाटी (कल्याणपुर), खोखसर, बोडवा (गिड़ा)–बाड़मेर, मीना सीमला (सिकराय)–दौसा, घुमनसरकलां (पिलानी), गोठडा (खेतड़ी)–झुंझुनूं, पड़ासला (बापिणि)–जोधपुर, दौलतपुरा, रघुनाथगढ़ (पिपराली)–सीकर, सेमलपुर–चित्तौड़गढ़ व बूढ़ी बावल (किशनगढ़ बास)–अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

– इसरोदा (तिजारा)–अलवर, भगवानपुरा (माण्डल)–भीलवाड़ा, भिलुड़ा (सागवाड़ा)–डूंगरपुर, अवार (कुम्हेर)–भरतपुर व इस्लामपुर–झुंझुनूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

– सालावास–जोधपुर, पोकरण–जैसलमेर, मकराना, परबतसर–नागौर, बाली–पाली, भिवाड़ी, बहरोड़–अलवर व मांगरोल–बारां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

- राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़–झुंझुनूं को उप जिला चिकित्सालय बनाया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वल्लभनगर–उदयपुर को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय सेटेलाइट अस्पताल, चाकसू–जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़–अजमेर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन–बाड़मेर एवं अंता–बारा में ट्रोमा सेंटर स्थापित किये जायेंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार–सवाई माधोपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75, चौथ का बरवाड़ा–सवाई माधोपुर, आसपुर–डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धौरीमन्ना–बाड़मेर, नावां–नागौर व तारानगर–चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुवा–दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बेड की जायेगी।

5. आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा–बीकानेर को 'ए' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा :

6. आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्रायें अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

7. हदां (कोलायत)–बीकानेर, खमनोर (नाथद्वारा)–राजसमंद, रैणी–अलवर, बसवा (बांदीकुई)–दौसा, नोखड़ा (गुढ़ामालानी)–बाड़मेर व ऋषभदेव (खैरवाड़ा)–उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा–बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, मगरा पूंजला–जोधपुर में भवन निर्माण किया जायेगा।

8. जोधपुर, कोलायत–बीकानेर, बिलाडा–जोधपुर व सपोटरा–करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक (यू.जी.) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) में क्रमोन्नत किया जायेगा।

9. प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय एवं नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

- राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण–जैसलमेर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा–करौली में विज्ञान व कृषि संकाय,
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा–बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिन्दी साहित्य एवं समाजशास्त्र विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं इतिहास विषय,

- डूंगर महाविद्यालय–बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय,
- नाथद्वारा पी.जी. कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय,
- राजकीय महाविद्यालय बयाना–भरतपुर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय बौंली (बामनवास)–सवाई माधोपुर व दूदू–जयपुर में वाणिज्य संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, बस्सी–जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत विषय,
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर–श्रीगंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक विज्ञान, इतिहास तथा पंजाबी विषय, तथा
- राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य (व्यवसायिक प्रशासन) विषय व महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किये जायेंगे।

10. राजकीय बालिका विद्यालय, धोद–सीकर में छात्रावास बनाया जायेगा।

11. वल्लभनगर–उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए छात्रावास बनाया जायेगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

12. भुसावर–भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर (बानसूर)–अलवर तथा गंगरार (बेगूं)–चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जायेंगे।

13. प्रदेश के 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का नाम	जिला
1.	बिजयनगर (मसूदा)	अजमेर
2.	कंगालहाथा (उमरैण)	अलवर
3.	भोपाबास–केसरोली (रामगढ़)	
4.	भीखाहेडी खेड़ा मंगलसिंह (लक्ष्मणगढ़)	
5.	किशोरी (थानागाजी)	
6.	राबड़ियों की ढ़ाणी (किशनगढ़ बास)	
7.	फलायथा (अंता)	बारां
8.	रामनगर (रामनगर)	
9.	डहरा (डीग–कुम्हेर)	भरतपुर
10.	चिकसाना (सेवर)	
11.	सेवर (सेवर)	
12.	टोडा–ठेकला, जागा बस्ती, लालसोट (लालसोट)	दौसा
13.	बागावास (नांगल राजावतान)	
14.	धौर्र (बसेड़ी)	धौलपुर
15.	बरैठा कलां (राजाखेड़ा)	
16.	बडबीराना (नोहर)	हनुमानगढ़
17.	भिरानी (भादरा)	
18.	त्रिलोकी नाथपुरा (चाकसू)	जयपुर
19.	आंतेला (विराट नगर)	
20.	खेजरोली (गोविन्दगढ़)	

21.	श्रीरामपुरा (झोटवाड़ा)	
22.	अमरसागर (जैसलमेर)	जैसलमेर
23.	माण्डोली नगर (जसवंतपुरा)	जालोर
24.	परसरामपुरा (झुन्झुनूं)	झुंझुनूं
25.	जूनी मण्डी, कन्हैया कॉलोनी, गुरों का तालाब (जोधपुर)	जोधपुर
26.	पीहबख्तावरपुरा (परबतसर)	नागौर
27.	भोजा ठाकुर का बाड़िया (भीम)	राजसमन्द
28.	रामपुरा (खण्डेला)	सीकर
29.	सांवलपुरा (अलोदा)	
30.	रूपनगर (चौथ का बरवाड़ा)	स.माधोपुर
31.	ढाणी देहरा (बामनवास)	
32.	यज्ञ के बालाजी आवासन मण्डल (टोंक)	टोंक
33.	भातड़िया (मीणों की झोपड़िया) (उनियारा)	
34.	पुराना खेड़ा (मालपुरा)	

14. प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है, छात्र–छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके लिए–

– राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

– जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र–छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे, वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जायेगा।

– छठी व उससे उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों के

सृजित 444 पदों को बढ़ाकर 1 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि :

15. उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तथा एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

16. किसानों को मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित '**कृषक उपहार योजना**' को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50 हजार रुपये, खण्ड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये जायेंगे।

17. रूपनगढ़–अजमेर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेगी।

18. पीथमपुरी (नीमकाथाना)–सीकर व झिलाई (निवाई)–टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

पशुपालन :

19. पाडवा (सागवाड़ा)–डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। साथ ही, पशु चिकित्सालय, सिनसिनी (डीग)–भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

20. राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़–बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर आईटीआई परिसरों में निर्मित कौशल विकास केन्द्र के भवनों में नये

Vocational Courses प्रारंभ करते हुए आईटीआई इकाइयों के रूप में विस्तार किया जायेगा।

अल्पसंख्यक :

21. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराईजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

युवा, रोजगार एवं श्रम :

22. Young Intern Yojana में चयन के साथ–साथ कतिपय राजकीय पदों पर **Campus Interview** के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा। इसी के साथ, विषय–विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए **Lateral Entry** का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके।

23. राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये जाने की शर्तें यथा–पौत्र, पौत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना, इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जायेगा।

24. वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि Trained Professionals एवं कामकाजी महिलायें शादी के बाद घर–परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती हैं। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को पुनः job दिलवाने/work from home की opportunity उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से **Back to Work** योजना प्रारंभ की जायेगी।

25. प्रदेश की NCC कैडेट वसुंधरा चौहान द्वारा पेश की गई बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को NCC की ओर प्रेरित करने के लिए NCC Training Centres का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। साथ ही, प्रतिवर्ष NCC के 2 शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

26. प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलिटों का कैम्प लगाकर उनमें से 20 का चयन किया जायेगा। इन चयनित 20 एथलिटों को 3 वर्ष तक CSR के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क Training दिये जाने के साथ–साथ अन्य खर्चे वहन किये जायेंगे।

27. स्पोर्ट्स व अन्य चयनित क्षेत्रों में Startups को promote करने के लिए Private Sector के सहयोग से **Challenge Events** का आयोजन किया जायेगा। इन Events में चयनित Startups को Venture Capital व Angel Funds द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा Matching Share दिया जायेगा।

28. केकड़ी–अजमेर में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बिछीवाड़ा–डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा।

29. कानोड (वल्लभनगर)–उदयपुर, भीम–राजसमंद में आईटीआई व मण्डोर–जोधपुर में महिला आईटीआई खोले जायेंगे।

सहकारिता :

30. पैक्स/लैम्प्स के कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कंप्यूटराईजेशन किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण :

31. प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण के कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

- किशनगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ (बारां) सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य,
- अंता से सीसवाली (बारां) सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य,
- टोड़ी लुहारान से वाया थानागाजी किशोरी (अलवर) तक सड़क का निर्माण,
- चिड़ावा–अरडावता–सुल्ताना (झुंझुनूं) की सड़क का डामरीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य,
- टहुंका से भीम वाया बागोर–बेमाली–ज्ञानगढ़ (मांडल)–भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण,
- केकड़ी शहर–अजमेर में देवली–नसीराबाद रोड (SH-26) पर बाईपास का निर्माण,
- झालामरिया से गोदावास (पाली) में सड़क का डामरीकरण,
- सवाई माधोपुर में शहर तिराहे से रामद्वारा तक बाईपास का निर्माण,

– एन.एच.–21 बालाहेड़ी पुलिस चौकी से एन.एच. 921 वाया हुड़ला बलीन रसीदपुर, राजगढ़ रोड (महुवा)–दौसा के चौड़ाईकरण का कार्य,

– छाणी–मगरी (सागवाड़ा) से ओबरी रोड तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण,

– डोजा से डोलवर (आसपुर) व डोलवर से कहारी (आसपुर) सड़क का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण,

– चितरी–गरीयाता–चिखली (सागवाड़ा) तक सड़क का नवीनीकरण,

– सिहानिया से पनोरिया (चौहटन)–बाड़मेर 20 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य,

– पुष्कर से गोविंदगढ़ (अजमेर) वाया ग्राम नांद स्टेट हाईवे रोड की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण,

– खोदरीबा से टोडा जयसिंहपुरा आसन रेडिया upto गुडा कटला सड़क (थानागाजी) का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण,

– खंडेला–सीकर में फतेहपुर भोमियां से गुरारा तक सड़क निर्माण व दुल्हेपुरा से कंचनपुर वाया जाटबाबा सड़क का निर्माण,

– सिरोही में मोहब्बत नगर से नून–मडिया–हालीवाड़ा से सिलदर सड़क व कैलाशनगर–सिरोही से जालोर सीमा तक सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य,

– करौली में मांढई मोड़ से सिलपुरा व सिलपुरा से वाया पालनपुर तक सड़क का निर्माण,

– बूटाटी–नागौर को जोड़ने वाली सड़क व बाड़मेर से गुढ़ामालानी वाया गरल–मालपुरा, रानासर खुर्द सड़क का डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण, तथा

– नारेहड़ा (कोटपूतली)–जयपुर में 140 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास का निर्माण करवाया जायेगा।

– भोपालगढ़ के मुख्य सम्पर्क सड़क मार्ग कड़वासरों की ढाणी फांटा से वाया रजलानी, हीरादेसर हेतु हाईवे खेड़ापा (एन.एच. 65) तक 45 किलोमीटर तक को राजमार्ग घोषित किया जायेगा।

32. राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत राज्यमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उच्च स्तरीय पुल, आरओबी निर्माण हेतु लगभग 1 हजार 535 करोड़ रुपये से 1 हजार 140 किलोमीटर के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	जिला	सड़क कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.में)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1	अलवर	रोहरा से बारा भदकोल सड़क वाया रानी माचडी सड़क (एमडीआर–151) (राजगढ़–लक्ष्मणगढ़)	22	1426
2		गुढ़ाकिशोरी सिद्ध का तिबारा छिरी नटाटा सड़क (स्टेट हाईवे–55) (थानागाजी)	13	1631
3		टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम सड़क (स्टेट हाईवे–25 ए) (थानागाजी)	18	894
4		एमडीआर–138 से स्टेट हाईवे–14 (गोपीपुरा) से जसई हरियाणा बार्डर तक वाया उलाहेडी नांगल उदिया बीजवाड चौहान (मुंडावर)	13	978
5		कोटकासिम टपूकड़ा हरियाणा बार्डर सड़क (स्टेट हाईवे–108) (तिजारा)	10	686

6	बांसवाडा	भटार भैंरूजी मन्दिर से नाहरपुरा रोड, कानेला एमडीआर 125 डामर सड़क (गढ़ी, बागीदौरा)	13	949
7		घाटोल–गनोड–पालोद–गढ़ी–आंनदीपुर गुजरात सीमा तक सड़क (घाटोल)	18.00	3975
8		माण्डली–धम्बोला–भीलुड़ा–गढ़ी–कुशलगढ़ मध्यप्रदेश सीमा तक सड़क पर पुलिया निर्माण (कुशलगढ़)	-	1900
9	बारां	बामुलिया बदवा जयनगर बारां सड़क (एमडीआर–126) (अंता)	8.16	1454
10	बाड़मेर	गुढ़ामलानी रतनपुरा जालौर सड़क (स्टेट हाईवे–16 बी)(गुढ़ामलानी)	13	1923
11		शिव पाटौदी वाया फलसूण्ड शेरगढ़ एसएच 65 (बायतु)	14	420
12		बालोतरा जसोल सिगली जागीर (पचपदरा)	9	720
13	भरतपुर	कुम्हेर से सोंख सड़क (स्टेट हाईवे–44 ए) (डीग, कुम्हेर)	12	1754
14		गुलपाडा अमरूा जुरहारा सड़क (एमडीआर–50) (कामां)	17.3	1664
15	भीलवाड़ा	गुराला से मांडलगढ़ रोड वाया गडरमाला, जावसिया, बड़ोद, हमीरगढ़, मंगरोप, जिटा, बदिलियास बरुंदनी (माण्डलगढ़)	34.8	1870
16	बून्दी	गेण्डोली–झालीजी काबराना–कालीतलाई–बोरदामाल–कापरेन सड़क (कैशोरायपाटन)	17.15	3430
17	चूरू	भादरा से साहवा (एमडीआर 36) (तारानगर–भादरा)	24	3000
18		तारानगर से एन.एच. 52 वाया हड़ियाल (एमडीआर–97) (तारानगर)	26	2400
19	दौसा	रोहरा (एन.एच.11ए) से बारा भदकोल वाया भीषणपुरा निमाली देलारी आभानेरी पुण्डरपुरा अलियापाडा माहूखेडा भाजेडा रेनी माचडी (एमडीआर–151) (बांदीकुई)	14.5	1840
20	धौलपुर	बाडी सैपऊ खेडागढ़ सड़क स्टेट हाईवे 42 पर सम्बरसेबल ब्रिज (धौलपुर)	-	800
21	हनुमानगढ़	भटिण्डा–सूरतगढ़ रेल्वे सेक्शन (एलसी नं–सी–85, हनुमानगढ़–सूरतगढ़ सड़क (एसएच–94) पर चारलेन आरओबी निर्माण (पीलीबंगा)	-	6500
22	जयपुर	पावटा नरेदा सडक से अलवर जिले की सीमा वाया मंगलावाल प्याउ बगरावाली ढाणी ढालडा उशपुरिया प्रगापुरा एव प्रगापुरा पाचुडालव से अलवर सीमा (विराटनगर)	25	3973
23		बहरोड़ से ताला वाया बानसूर, नारायणपुर, थानागाजी सड़क (जमवारामगढ़)	19	1593
24	जालोर	सांचौर रानीवाड़ा मंदार रोड (SH–11) (सांचौर–रानीवाड़ा)	40.00	2700

25		सांचौर–बकासर वाया भावतरा (एमडीआर–17) (सांचौर)	13.00	650
26		भीनमाल से सरवाना वाया करडा सांचौर–डाबल–बिचावरी (एमडीआर–17ए) (सांचौर)	23.00	2300
27	झालावाड़	सिंगल लेन से डबल लेन तक चौड़ाईकरण और बाकानी भूमाडा रायपुर देवलखेड़ा मथानिया ओसाव पिराव रामपुरिया पटपारा की मजबूती। (ओसाव से M.P. बॉर्डर सेक्शन) (झालरापाटन)	30.50	9150.00
28		कलमोडिया हरनवाड़ा मनोहरथाना राजगढ़ रोड म.प्र सीमा तक MDR-176, (मनोहरथाना)	35.00	6825.00
29		एसएल से डीएल रायपुर आजमपुर दुबलीया मोरारी खेरी चचलाओ पोखरी गुणवाड़ी कंवारी भीलवाड़ा भीलवाड़ी उदपुरिया से झालावाड़ जिला सीमा सड़क (झालरापाटन, डग)	34.95	9759.00
30	झुंझुनू	बिसाऊ–मंड्रेला– पिलानी–लुहारू सडक (एमडीआर–82) (पिलानी)	24	2200
31		चिडावा–सुलताना–गोवला–भाटीवाड–केड–कांकरिया– बागोरी–सराय सडक (एमडीआर–160) (उदयपुरवाटी)	44	3500
32		धनानी–लक्ष्मणगढ़–नवलगढ़–छावरा–खरखरा–खेतडी–हरियाणा बार्डर सडक (नवलगढ़–गुढ़ा सेक्शन) (नवलगढ़)	17	2200
33	जोधपुर	झालमण्ड गुढ़ा खारा वैरा पुरोहितान सड़क मय जोझारी नदी पर मेजर पुल (लूणी)	14	1763
34		सरदार समन्द से खेड़ापा वाया चौपडा, लनेरा, हुणगांव, ओलवी रोड़ (बिलाड़ा)	17	1600
35		शिव पाटौदी वाया फलसूण्ड शेरगढ एसएच 65 (शेरगढ़)	14	1200
36	करौली	करणपुर मण्डरायल –चन्देलीपुरा सडक (एमडीआर 03ए) (सपोटरा)	34	4209
37		मण्डरालय करौली हिण्डोन सडक (स्टेट हाईवे 22) (सपोटरा)	18	1783
38		श्रीमहावीर जी बालघाट मोहनपुरा करीरी जोधपुरा खीरखीरी (कदमखुण्डी घासीराम बाबा का स्थान) भैसापट्टी खुर्द भनकपुरा बालाहेड़ी मोड से बालाहेड़ी बेर खेडा उकरून्द मोड से स्टेट हाईवे 22 से (एमडीआर–223) (टोडाभीम/हिण्डौन)	15	1675
39		करनपुर–कैलादेवी सडक एमडीआर–3 (सपोटरा)	34	1733
40	कोटा	पलायथा–राजगढ़–कुंदनपुर–सांगोद सड़क एमडीआर 88 पर उच्च स्तरीय पुल मय एप्रोच रोड (सांगोद)	1 HLB	2624
41		चेचट अलोद एकलिंकपुरा रावतभाटा सड़क एम. डी.आर. 110 (अलोद) जिला सीमा तक (रामगंजमण्डी)	10.3	2500

42	नागौर	सतुर एनएच–12 से मूण्डवा एसएच–39 वाया जहाजपुर–साहपुरा–विजयनगर–ब्यावर–मेडता सिटी (मेड़ता/खींवसर/नागौर)	61.2	6120
43		नागौर–बासनी–भेड–बैराथल–पांचलासिद्धा सडक (खींवसर)	32	2560
44		खाटू से पांचलासिद्धा वाया कुचेरा–संखवास–जोरावरपुरा (मुदियाड से जोरावरपुरा भाग) (नागौर)	16	1280
45	पाली	बिलाडा सोजत मारवाड जक्शन (सोजत)	14.00	1400.00
46		सरदार समंदर–पाली–रमिस्य–नाडोल– देसुरी सड़क (पाली, सुमेरपुर)	18.00	1800.00
47	सीकर	हासमपुर से अजीतगढ़ वाया हल्थीदेह (एमडीआर–114) (श्रीमाधोपुर)	36.4	3475
48		निम्बीजोधा–लक्ष्मणगढ सडक एमडीआर 180 (लक्ष्मणगढ़)	14	1213
49		चौंमू–चूरू सडक एसएच–37 के अजीतगढ से श्रीमाधोपुर सैक्शन (श्रीमाधोपुर)	24	1904
50		आन्तेला–खण्डेला–गोरिया– जीणमाता–रलावता एसएच–83 (दांतारामगढ़)	23.5	2373
51		खुडी–कूदन–दांदिया सडक एमडीआर–87 (धोद)	10	1125
52	टोंक	टोंक–कोटा वाया नगर–नैनवा–केशोरायपाटन सडक (एसएच–34) का (टोंक–नगर फोर्ट अनुभाग) (टोंक–देवली–उनियारा)	32.5	2813
53		उनियारा–पलाई–दूनी आवा सडक (पलाई नगर सैक्शन एसएच–34ए) (देवली–उनियारा)	14	1633
54		उनियारा–पलाई–दूनी आवा सडक (नगर दूनी सैक्शन एसएच–34ए) (देवली–उनियारा)	21.5	2436
55		धोली–कंडीला–कलमाण्डा–नानेर–जनवाली–गहलोद–टोंक सडक एमडीआर–205 पर उच्च स्तरीय पुल (टोंक, निवाई)	3.5	13474
56		दूदू–मालपुरा–टोडा–खारेडा–छान–सांखना–नगर –नैनवा–केशोरायपाटन सडक एसएच–37ए (टोंक)	16.4	1754
57		झिरना–टोडारायसिंह–केकडी सडक एसएच–116 (मालपुरा)	10.3	1300
58	उदयपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भंवरासिया से मोडी बाठेडा अडिन्दा कुराबड़ (उदयपुर) तक सड़क (वल्लभनगर)	16	1400
59		राजोल से कल्याणपुर (एसएच–53) (कीर की चौकी भिंडर सलुम्बर कल्याणपुर) (खैरवाड़ा)	15	1450

33. निवाई–टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का Ex.En. Office खोला जायेगा।

ऊर्जा :

34. बाखासर (चौहटन)–बाड़मेर में 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जायेगा।

उद्योग :

35. राज्य में Self Help Groups, Rural Artisans तथा विभिन्न Handicrafts से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, Business Enterprise से संबंधित Skills उपलब्ध कराने एवं Marketing Linkage/Resource Mobilisations में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से **Rajasthan Centre of Crafts and Design Management** स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार, निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री e-बाजार Online Platform के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इनके तथा राज्य में पंजीकृत MSME के उत्पादों की e-बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख रुपये तक की खरीद बिना Tender की जा सकेगी।

36. बुचारा (पावटा)–जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

जल संसाधन :

37. अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर (हनुमानगढ़) के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य किये जायेंगे।

38. जलदा माइनर (बागीदौरा)–बांसवाड़ा का निर्माण करवाया जायेगा।

39. कल्याणपुरा (लालसोट)–दौसा में मोरेल नदी पर एनिकट का निर्माण किया जायेगा। साथ ही, खोरापाड़ा (लालसोट)–दौसा में Flood Control Structures का निर्माण करवाया जायेगा।

40. डूंगरपुर में भिलुड़ा–जेठाना–सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माही नदी पर एनिकट बनाया जायेगा। साथ ही, बारीगामा केनाल (बागीदौरा)–बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।

41. मेरे द्वारा वर्ष 2019–20 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ईसरदा बांध से दौसा तथा सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी थी। परियोजना के State Share के लिए वित्तीय संस्था AFD के माध्यम से ऋण लेने की कार्यवाही आरंभ की गई थी। यदि AFD से ऋण मिलने में समय लगा, तो इस योजना की महत्ता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर State Fund से State Share के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए कार्य बिना विलंब के प्रारंभ कराये जायेंगे।

42. फलौदी–जोधपुर में बारू–धोलिया–टेपू–टेकरा–राणेरी–सिंहड़ा–मोडकिया पेयजल योजना शुरू की जायेगी।

43. सिकराय–दौसा में Ex. En. (PHED) कार्यालय खोला जायेगा।

44. रावतभाटा (बेगूं)–चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के (ई–रेक्टर) गेस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्धार किया जायेगा।

नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय :

45. डोलमेला तालाब–बारां के 20 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य किये जायेंगे।

46. सवाई माधोपुर में टाउन हॉल का निर्माण किया जायेगा।

47. जोधपुर में बालसमंद नागादड़ी ऑवर फ्लो नाला–मण्डोर से फूलबाग चतुरावता बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जायेगा।

48. फतेहपुर–सीकर में बरसाती पानी व गंदे पानी की निकासी से संबंधित कार्य करवाये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

49. हमारे द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10 हजार वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवायी जाती है। इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 20 हजार पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

50. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनायी गयी हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी, फ्लाईंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचालन किया जाना प्रस्तावित है।

51. उल्कापिण्ड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर (बारां), देश के तीन क्रेटरों में से एक है, जो कि विश्व भू विरासत है। साथ ही, यहां पर 10वीं

शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी हैं। इस स्थल के जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।

52. कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए Rajasthan School of Arts में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

53. राज्य के अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को Digital संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जायेगा।

54. श्री गलता जी तीर्थ–जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा। साथ ही, मनसा माता मंदिर (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं को शेखावाटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा।

परिवहन :

55. चाकसू–जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।

विधि :

56. भणियाना–जैसलमेर, चौथ का बरवाड़ा–सवाई माधोपुर, सैंपऊ, बसेड़ी–धौलपुर, भोपालगढ़–जोधपुर, उच्चैन–भरतपुर व आनंदपुरी (बागीदौरा)–बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (CJJM) खोले जायेंगे। बिछीवाड़ा–डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जायेगा। साथ ही, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट कुचामन सिटी–नागौर व अपर जिला एवं सेशन न्यायालय3 संख्या–2 शिविर बेगूं–चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जायेगा।

57. निवाई–टोंक व नगर–भरतपुर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जायेंगे।

गृह :

58. भ्रष्टाचार के विरूद्ध Zero Tolerance की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ACB द्वारा आमजन को Toll Free Helpline Number 1064 एवं Whatsapp Helpline Number 9413502834 पर भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पिछले 2 वर्षों में ACB ने सराहनीय कार्य करते हुए छोटे से लेकर बड़े भ्रष्ट राजसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की है। अकसर परिवादी की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाहियां सफल नहीं हो पाती। इसके लिए ACB की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने की दृष्टि से 1 करोड़ रुपये के Revolving Fund की स्थापना नियम बनाकर की जायेगी।

59. प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता से जांच कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए महिला थानों, Anti **Human Trafficking Units (AHTU)** एवं **Special Investigation Unit for Crime Against Women (SIUCAW)** को एक Umbrella में लाते हुए वर्तमान में सृजित उप अधीक्षक पद को क्रमोन्नत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के अधीन किया जायेगा।

60. देश के अन्य भागों के साथ–साथ प्रदेश में Multi State Credit Cooperative Societies यथा आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, संजीवनी सोसायटी आदि द्वारा किये गये घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं (Depositors) को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से Depositors को

हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 DJ Designated Courts का गठन किया गया है, FIR दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं। अभी भी केन्द्रीय रजिस्ट्रार से स्वीकृत 74 ऐसी Societies कार्यरत हैं, जो कि हमारे लिए चिन्ता का कारण है। भविष्य में ऐसे घोटालों व अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव के अधीन सहकारिता, विधि तथा पुलिस के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए **Vigilance Authority** का गठन किया जायेगा। इस Authority के माध्यम से वर्ष में 2 बार इन Credit Societies एवं उनकी Books of Accounts का Inspection करवाया जाना प्रस्तावित है।

61. प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6 हजार 323 पदों को, कांनिस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से, बढ़ाकर 10 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

62. उनियारा–टोंक व रायथल–बूंदी में नवीन पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। साथ ही, भीरानी–हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

63. बहतूकला (देवी धौलागढ़) कठूमर–अलवर में पुलिस थाना खोला जायेगा। साथ ही, पुलिस चौकी रायसर (जमवारामगढ़)–जयपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

राजस्व :

64. देशनोक–बीकानेर, बोरुन्दा (बिलाडा), गुडा विश्नोईयां (लूणी)–जोधपुर, बाटाडू (बायतू)–बाड़मेर, डूंगराना (भादरा)–हनुमानगढ़ व ताला (जमवारामगढ़)–जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

65. उप तहसील मण्डावा–झुंझुनूं, सांजु (डेगाना)–नागौर, सेतरावा (लोहावट)–जोधपुर व गामड़ी–अहाड़ा–डूंगरपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही,नोखड़ा (गुढ़ामालानी)–बाड़मेर को तहसील बनाया जायेगा।

66. आबूरोड–सिरोही, मण्डावर–दौसा, उच्चैन (नदबई)–भरतपुर व पावटा (विराटनगर)–जयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, जोधपुर (उत्तर) व जोधपुर (दक्षिण) उपखण्ड कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

कार्मिक कल्याण :

67. मैंने, कोविड काल में अधिकारियों–कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए, उनके डेफर किए गए वेतन को release कर दिया है। अब मैं, राजकीय अधिकारियों–कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की स्वीकृतियां जारी करने की घोषणा करता हूँ।

68. यद्यपि प्रदेश में नये संस्थानों, कार्यालयों एवं अन्य ईकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं लेकिन पुरानी Buildings की तरफ समुचित ध्यान नहीं जा पाता। इस हेतु **Building Infra Maintenance Fund** बनाया जायेगा। प्रदेश में ऐसे जन उपयोगी भवन जिनको मरम्मत की अति

आवश्यकता है, उनका Survey कराकर इस Fund के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

69. राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS), हैडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जायेगा। इसी प्रकार, प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी संगठनों यथा–पटवारी, मंत्रालयिक, कांनिस्टेबल इत्यादि की मांगों का, अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

70. हमारे द्वारा प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आय की सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक की गयी थी तथा सम्पत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं, EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

71. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा–आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड–डे–मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स आदि व REXCO कर्मियों द्वारा राजहित में विशेष सेवायें दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया है। आगामी 1 अप्रेल से इन मानदेय कर्मियों व REXCO कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

72. चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वारियर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर Ex-gratia के रूप में 50 लाख

रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। कोरोना काल के दौरान राशन डीलर्स व पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः मैं कोरोनाकाल के प्रारंभ से राशन डीलर्स व पत्रकारों को भी Ex-gratia राशि दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

वित्त एवं कर :

73. आबकारी विभाग से सम्बन्धित बकाया मांग एवं विवादित न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु दिनांक 1 अप्रेल, 2021 से 30 जून, 2021 तक **आबकारी एमनेस्टी योजना–2021** लाने की घोषणा करता हूँ कि–

(i) 31 मार्च, 2014 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार मूल राशि में आंशिक एवं ब्याज में पूर्ण छूट, तथा

(ii) 1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2020 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज पर पूर्ण छूट दी जायेगी।

74. कोविड–19 से प्रभावित बस व्यवसायियों को राहत देने के लिए Contract एवं Stage Carriage बसों को राज्य परिवहन प्राधिकार (State Transport Authority) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा करता हूँ।

75. राज्य सरकार ने कोविड–19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु RIICO के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अगस्त, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक अनेक रियायतें दी थीं। अब मैं, इसे आगे बढ़ाते हुए RIICO Amnesty Scheme-2021 लाने की घोषणा करता हूँ। जो 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगी। इसमें–

(i) सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराये की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट,

(ii) आवंटित भूखण्ड पर गतिविधि प्रारंभ करने में हुई देरी पर देय धारण प्रभार में 50 प्रतिशत छूट, एवं

(iii) भूखण्ड/उप विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

क्षेत्रीय विकास :

76. माननीय विधायकगणों की भावना को ध्यान में रखते हुए एवं प्रदेश के विकास हेतु मैं, विधायक विकास कोष (MLA LAD) की वर्तमान राशि 2 करोड़ 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करता हूँ।